न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 813/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
लेहरों देवी पुत्री स्व. राजो पत्नी श्री पोपटलाल जाति माली निवासी प्रभुओणी मालियों का वास (कुड़ला) तहसील व जिला बाड़मेर हाल मालामद तहसील डीसा जिला बनास कांठा		1 गोपाराम पुत्र भारताराम 2 रामाराम 3 वांकाराम 4 वीराराम पिसरान चुनाराम 5 मु. पालू पत्नी चुनाराम जाति माली निवासी प्रभुओणी मालियों का वास (कुड़ला) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 6 स्व. राजो पुत्री भारताराम पत्नी राणाराम के वारिशान 6/1 तीजो पुत्री स्व. राजो पत्नी घनश्याम 6/2 लीला पुत्री स्व. राजो पत्नी बावुलाल निवासीयान जाति माली निवासी प्रभुओणी मालियों का वास (कुड़ला) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 6/3 गंगा पुत्री स्व. राजो पत्नी पुखराज जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा जिला बालोतरा 6/4 स्व. टीमों पुत्री स्व. राजो पत्नी रमेश कुमार जाति माली के वारिशान 6/4/1 जगदीश भाई पुत्र रमेश कुमार 6/4/2 श्रीमती शिल्पा पत्नी शेलेश कुमार जाति माली निवासीयान मालगढ तहसील डीसा जिला बनास कांठा 7 प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 8. प्रबन्धक केनरा बैंक महावीर नगर, बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 **RTA Act.**

उपस्थिति :– 1 श्री मुकेश जैन, वकील प्रार्थीनी।
2 श्री सुनील के. मैराजा वकील अप्रार्थी संख्या 01।
3 श्री दीक्षित कुमार, वकील अप्रार्थी सं0 02 से 05।

निर्णय

दिनांक 12/06/25

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीनी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीनी द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा कुड़ला वर्तमान राजस्व ग्राम प्रभुओणी मालियों का वास, पटवार हल्का कुड़ला के खसरा नम्बर 447 रकबा 95.00 बीघा, खसरा नम्बर 600 रकबा 76.16 बीघा, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.13 बीघा कुल रकबा 173.05 बीघा की वक्त सेटलेन्ट से आई हुई है, जो वक्त सेटलमेन्ट नानक, भारता पिसरान गुलाबा के नाम पैमाईश होकर दर्ज हुई। जिनका 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का था। आराजी के सह खातेदारी नानक का देहान्त होने पर उसके पुत्रों पुरखा व बागा के नाम तथा भारता का देहान्त होने पर उसके पुत्रों गोपा एवं चुना के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुवें। प्रार्थीनी के नाना विप्रार्थी सं0 01 के पिता, विप्रार्थी सं0 01 से 03 के पितामह व विप्रार्थी सं0 04 के ससुर भारता का देहान्त उनके भाई नानक के पश्चात हुआ। भारता के देहान्त होने पर उनके तीन विधिक वारिशान गोपाराम, चुनाराम एवं पुत्री राजो होने से उनके नाम नामान्तरकरण दायर किया जाना था, परन्तु प्रार्थीनी की माता राजों, भारताराम की पुत्री होने के बाद भी उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दायर नहीं करवाया गया है। जबकि प्रार्थीनी की माता राजों उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा की हकदार होने से राजस्व रेकर्ड में नाम दायर नहीं करते हुए दोनो

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

भाईयों द्वारा अपनी बहन की बिना सहमति के बंटवाड़ा भी करवा दिया गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी सहित प्रार्थीनी की बहनों का भी मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। कुछ समय पूर्व प्रार्थीनी के कब्जे–काश्त में अप्रार्थीगण लगातार दखलअंदाजी की जा रहीं है तथा भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वद्धि होने से प्रार्थीनी के कब्जे–काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने पर उतारू है, यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाव हो जाते है तो प्रार्थीनी के अधिकारों पर भारी कुठाराधात होगा एंव प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। लिहाजा अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मौजा प्रभुओणी मालियों का वास, पटवार हल्का कुड़ला के खेत खसरा नम्बर 691/600 रकबा 6.2726 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690/600 रकबा 6.1593 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 599 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा न ही भूमि का बेचान करें। मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीनी द्वारा जो वंश–वृक्ष अंकित किया है, वह गलत है। भारताराम पुत्र गुलबाराम के तीन सन्ताने गोपाराम, चूनाराम एवं नाथाराम थी। जिसमें से नाथाराम का कुआरा ही भारताराम के समकालिन देहान्त हो गया था। भारताराम के तीन संतानों के अलावा कोई पुत्री नहीं थी, लेहरों द्वारा विप्रार्थीगण की भूमि हड़पने के लिए दोहिती बनकर वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीनी ने वादग्रस्त भूमि मौजा प्रभुओणी मालियों का वास, पटवार हल्का कुड़ला के खेत खसरा नम्बर 447 रकबा 95.00 बीघा, खसरा नम्बर 600 रकबा 76.16 बीघा, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.16 बीघा एवं खसरा नम्बर 599 रकबा 0.13 बीघा कुल रकबा 173.05 बीघा स्थित है, जो प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की कीमते बढ जाने के कारण प्रार्थीनी द्वारा अपने आप को भारताराम की दोहिती वताकर वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से की मांग की गई है, जो पूर्णत्या गलत व विधि के विपरित है। वादग्रस्त भूमि मौजा प्रभुओणी मालियों का वास, पटवार हल्का कुड़ला के खेत खसरा नम्बर 447 रकबा 95.00 बीघा, खसरा नम्बर 600 रकबा 76.16 बीघा, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.16 बीघा एवं खसरा नम्बर 599 रकबा 0.13 बीघा कुल रकबा 173.05 बीघा वक्त सेटलमेन्ट नानक भारता पिसरान गुलाबा कौम माली के नाम खातेदारी थी जो वर्ष 1978 में भारथाराम के देहान्त होने पर भारता के प्रथम श्रेणी के वारिश गोपा, चुना व नाथा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। भारताराम के देहान्त के पश्चात 46 वर्ष तक कभी भी भारताराम की पुत्री होने के सम्बन्ध में वादग्रस्त भूमि का दावा नहीं किया गया है। वर्तमान में राजो का भी देहान्त होने से वादीनी द्वारा राजो की पुत्री होना जाहिर करते हुए हक हिस्से की मांग की जा रही है, जो न्यायोचित नहीं है। यदि राजो भारताराम की पुत्री होती तो भारताराम के देहान्त के समय वर्ष 1978 में भारता की मृत्यु के पश्चात पारित नामान्तरकरण में वारिशान होने के नाते नाम अवश्य राजस्व रेकर्ड मे दायर किया जाता। प्रार्थीनी द्वारा अपना वर्तमान निवासी गुजरात में होना वताया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीनी का कभी कब्जा काश्त नहीं होना जाहिर है। भारताराम के तीन सन्ताने गोपाराम, चूनाराम एवं नाथाराम थे, नाथाराम कुआरा फोत होने से गोपाराम एवं चुनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड

सहायक कलक्टर
(SDO), वाड़मेर

में दायर हुवे एवं वर्ष 2000 में विभाजन करवाते हुए दोनो भाईयो की भूमि में अलग अलग 1/2–1/2 हिस्सा दायर हुआ है। वर्तमान में विप्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में रहवासीय ढाणी, टांके, पशु बाड़े आदि बने हुए है। वादग्रस्त भूमि में राजो का हक हिस्सा यदि होता तो उसके द्वारा अपने जीवन काल में अवश्य ही हक हिस्से की मांग की जाती। वर्तमान में प्रार्थीनी द्वारा राजो की देहान्त के 04 वर्ष पश्चात यह दावा पेश किया गया है। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं0 6/1 से 6/4/2 द्वारा कभी भी अपने हक हिस्से की मांग नहीं की गई है। प्रार्थीनी एवं उसकी माता राजो द्वारा कभी भी वर्ष 1978 में भारथाराम के देहान्त होने के वाद वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण सं0 287 को चुनौती नहीं दी, इससे स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त भूमि में कभी भी प्रार्थीनी का कब्जा काश्त स्थापित नहीं रहा है एवं उसका कोई हक हिस्सा नहीं होने से प्रार्थीनी के पक्ष मे सुविधा का संतुलन नहीं है, इसलिए प्रार्थीनी विप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थीनी का आवेदन खारिज योग्य है।

वकील विप्रार्थी सं0 02 से 05 द्वारा बहस करते प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार करते हुए वादीनी का वाद स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली व रेकर्ड का अवलोकन किया गया है। वकील प्रार्थीनी द्वारा आवेदन में तथा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनी स्व. राजो की पुत्री है। स्व. राजो, भारताराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से भारताराम की मृत्यु पर उसके नाम से नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर कानूनी भूल की है। प्रार्थीनी वादग्रस्त भूमि में जन्म से हिस्सा निहित है। प्रार्थीनी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीनी के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थीनी के पक्ष में वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वकील प्रार्थीनी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2006 (1) पृष्ठ संख्या 421, RRT 2013 (2) पृष्ठ संख्या 1128, RLW 2014 (2) पृष्ठ संख्या 1561, RRD 2002 पृष्ठ संख्या 744 एवं RRT 2022-23 (SUPP.) पृष्ठ संख्या 699 प्रस्तुत किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से आवेदन के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनी एवं उसकी माता राजो द्वारा कभी भी वर्ष 1978 में भारथाराम के देहान्त होने के वाद वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण सं0 287 को चुनौती नहीं दी, इससे स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त भूमि में कभी भी प्रार्थीनी का कब्जा काश्त स्थापित नहीं रहा है एवं उसका कोई हक हिस्सा नहीं होने से प्रार्थीनी के पक्ष मे सुविधा का संतुलन नहीं है, इसलिए प्रार्थीनी विप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थीनी का आवेदन खारिज योग्य है।

प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका सं0 5784/2025 अनवान गोपाराम बनाम लेहरों में दिनांक 17.03.2025 को आदेश पारित करते हुए माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 एवं माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2025

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

को निरस्त करते हुए प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को 04 सप्ताह में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख एवं न्याय दृष्टान्तों का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद ग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट नानक भारता पिसरान गुलाबा कौम माली के नाम खातेदारी थी जो वर्ष 1978 में भारथाराम के देहान्त होने पर भारता के प्रथम श्रेणी के वारिश गोपा, चुना व नाथा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। वर्तमान में भारता की पुत्री स्व. राजो की पुत्रियों द्वारा उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि में हिन्दु होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 व 08 के अन्तर्गत उसका जन्म से ही हिस्सा निहित होने से पैतृक सम्पति में अपना हिस्सा पाने की अधिकारी है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत यह तर्क उचित प्रतीत नही होता है कि कब्जा के अभाव में प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में हक–हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। प्रकरण में पूर्व में ही प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। विप्रार्थी सं0 02 से 05 द्वारा भी प्रार्थीनी का वाद स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। विप्रार्थी सं0 02 से 05 स्व. चुनाराम के वारिशान है तथा अप्रार्थी सं0 01 द्वारा चुनाराम को स्व. भारता का पुत्र बताया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उसके हिस्से की वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जाता है तो अकारण मुकदमेबाजी बढेगी, जिससे प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। पैतृक सम्पति में प्रार्थीनी का हिस्सा जन्म से निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद के निर्णय तक प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा प्रभुओणी मालियों का वास, पटवार हल्का कुड़ला के खेत खसरा नम्बर 691/600 रकबा 6.2726 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690/600 रकबा 6.1593 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 599 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी सं0 6/1 से 6/4/2 के संयुक्त हिस्से 1/3 तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12/06/25 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर